लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/50/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 30.06.2020

श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 21.07.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.05.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 50/2020/(21.07)/426 दिनांक 30.06.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.07.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 21.07.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/212 दिनांक 03.07.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 50/2020 (सू.अ.)
श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 01.06.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के समस्त तथ्य आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से संबंधित होने से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2455 दिनांक 09.06.2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित किया गया है जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2455 दिनांक 09.06.2020 से अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/212 दिनांक 03.07.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसारः–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.05.2020 से 9 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया जाना प्रतिवेदित है। अतः इस आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के स्तर से अपेक्षित थी। आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 50/2020 (सू.अ.)
श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

कराई गई है तो उस दशा में अपीलार्थी को उनके अपीलीय प्राधिकारी (अध्यक्ष, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 6(3) में अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित करने की दशा में इस न्यायालय का अपीलीय क्षैत्राधिकार नहीं रह जाता है, किन्तु आवेदन दिनांक 25.05.2020 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या 5 व 6 लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से संबंधित होकर उक्त बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) के स्तर से अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जानी थी।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं साथ ही शेष बिन्दुओं पर वांछित सूचना के लिए अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अध्यक्ष, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./50/2020(सू.अ.)/480 दिनांकः-21/07/2020

प्रतिलिपिः-
1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official